

रिपोर्ट पटवारी हल्का/आइ0एल0आर0  
आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार

जमावदी, ग्राम पोखाना, जमावन्दी सं 2075-78 की जांच ताराचन्द पुत्र रामचन्द्र  
होजे, जबकि वही घात पैसा हस्तगत है जो कि राजस्व कार्ड नं 105 में  
सही नाम ताराचन्द पुत्र रामचन्द्र है, शुद्ध किताबत में उपलब्ध है।

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुदागौड़जी

क्रमांक : राजस्व/2020/

दिनांक :-

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिशाप की जाती है / की जाती है।

उपलब्ध किताबत में  
उचित है।

तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुदागौड़जी

उदयपुरवाटी (मुन्मुन्)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला मुन्मुन् (राज.)

-: आदेश :-

दिनांक :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुदागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुदागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमावन्दी-सम्बत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1.	पोखाना	2075-2078	105	ताराचन्द पुत्र रामचन्द्र	ताराचन्द पुत्र रामचन्द्र

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 11/11/21

क्रमांक :- राजस्व/2020/1053-53  
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुदागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया .....को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

